

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

संयुक्त जिला कार्यालय: भू-तल, कक्ष क्रमांक 53 जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

Email - actwsurajpur@gmail.com, Telephone No. 07775-266083

क्रमांक / 1660 / ऑ.ला.पो.मै.छा. / आदि.वि. / 2020-21

सूरजपुर, दिनांक 04/01/2021

- प्रेस विज्ञप्ति -

वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के आवेदन हेतु विज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आई.टी.आई., पॉलीटेक्निक आदि के प्राचार्य/संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, जिनको विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण की पात्रता है को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2020-21 हेतु ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही <http://mpsc.mp.nic.in/CGPMS> वेबसाइट पर ऑनलाइन की जा रही है।

जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के पंजीयन एवं संस्थाओं के प्रस्ताव/स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 में निम्नानुसार तिथि निर्धारित की गई है:-

क्र.	प्रक्रिया	अंतिम तिथि
1.	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु (नवीन एवं नवीनीकरण)	दिनांक 01.01.2021 से 10.01.2021 तक
2.	Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 01.01.2021 से 15.01.2021 तक
3.	Sanction Order Lock करने हेतु	दिनांक 01.01.2021 से 15.01.2021 तक
4.	Disburse (शासकीय)	दिनांक 01.01.2021 से दिनांक 19.01.2021 तक

निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2020-21 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन स्वीकृत नहीं किये जावेंगे एवं Draft Proposal Lock अथवा Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जावेगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास सूरजपुर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)